राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 5(5)कार्मिक/क–2/85 पार्ट III जयपुर, दिनांकः– 6/2/2009

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्र

विषयः– बलवों, आतंकवादी हमलों, आन्दोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैली जैसी घटनाओं में मारे गये व्यक्ति के एक आश्रित को नियुक्ति देने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22–5–08 के अनुसार बलवों, आतंकवादी हमलों, आन्दोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैली जैसी घटनाओं में मारे गये व्यक्ति के एक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने हेतु नियमों–यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम,1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम,1999 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसे आश्रितों के द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तथा सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदनों को अपने जिले में स्थित विभागों /नियुक्ति प्राधिकारियों को अपनी अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाता हैं।

शासन के ध्यान में आया है कि ऐसे मामलों में नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही तत्परता से नहीं की जा रही है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टरों द्वारा अग्रेषित ऐसे आवेदन पत्रों पर त्वरित गति से कार्यवाही कर आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जावे।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. पंजीयक, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

(वी0के0दोसी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

5/2009

My com/D/Ganesh/Notification-26